संख्या-38/2026/001-173डब्लू-26-27-3005(002)/5/2026

प्रेषक,

शीतला प्रसाद
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2026

विषय: भू-संदर्भ वाद संख्या-135/2005, निष्पादन वाद सं0-15/2013, प्रथम अपील संख्या-478/2016, पुर्नजीवित प्रर्कीण वाद संख्या-03/2026 नरेश बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 न्यायालय अपर जिला जज, बिजनौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2012 के अनुपालन में डिक्रिटल धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-374/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/पूर्वीगंगा दिनांक 10.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6 नजीबाबाद, बिजनौर से सम्बन्धित भू-संदर्भ वाद संख्या-135/2005, निष्पादन वाद सं0-15/2013, प्रथम अपील संख्या-478/2016, पुर्नजीवित प्रर्कीण वाद संख्या-03/2026 नरेश बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 न्यायालय अपर जिला जज, बिजनौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2012 के अनुपालन में धनराशि रू0 13,77,035.00 (रू0 तेरह लाख सतहत्तर हजार पैंतीस मात्र) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: भू-संदर्भ वाद संख्या-135/2005, निष्पादन वाद सं0-15/2013, प्रथम अपील संख्या-478/2016, पुर्नजीवित प्रर्कीण वाद संख्या-03/2026 नरेश बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 न्यायालय अपर जिला जज, बिजनौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2012 के अनुपालन में धनराशि रू0 13,77,035.00 (रू0 तेरह लाख सतहत्तर हजार पैंतीस मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवृत्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाय। किसी गलत भू-स्वामी को किये गये भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 13,77,035.00 (रू0 तेरह लाख सतहत्तर हजार पैंतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-094 लेखाशीर्षक- 4700-19-050-10-16-24 पूर्वीगंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शीतला प्रसाद
उप सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (परिवाद), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
6- मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद।
7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- कोषाधिकारी, बिजनौर।
9- अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण मण्डल, बिजनौर।
10- अधिशासी अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद, बिजनौर।
11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शीतला प्रसाद
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।